बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: आदेश ::–

संख्या–17/स्था0–03–19/2024, 6163 / सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/04/2026

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–1095 दिनांक–06.04.2026 द्वारा प्राधिकरण में वरीय संपादक, कार्यालयी भाषा विशेषज्ञ–सह– पुस्तकालय अध्यक्ष, आई.ई.सी. एवं प्रकाशन विशेषज्ञ, जन सूचना पदाधिकारी, सूचना प्रोद्योधिकी विशेषज्ञ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और एमआईएस विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक–07.04.2026 से 10.04.2026 तक साक्षात्कार हेतु बिहार सचिवालय सेवा के 01 (एक) प्रशाखा पदाधिकारी एवं 01 (एक) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग), बिहार, पटना में की जाती है:–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/पदनाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग का नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री राजेश कुमार, को0क्र0–1169/26 प्रशाखा पदाधिकारी	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	9931919600
2	श्री अनिश कुमार ओझा, को0क्र0–1696/26 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना।	9507592644

06/04/26
(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–17/स्था0–03–19/2024, 6163 / सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/04/2026

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ /अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित विभाग से यह भी अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को दिनांक–06.04.2026 तक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग), बिहार, पटना में योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय। यदि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अवकाश/प्रशिक्षण/पटना से बाहर पदस्थापित हो अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे हो तो विभाग यदि चाहे तो उनके स्थान पर किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से प्राधिकरण में करते हुए इस विभाग को सूचित करेंगे।

साथ ही प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा यदि उनके स्थान पर किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी एवं

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्राधिकरण में दिनांक–06.04.2026 अपराह्न तक विरमित नहीं किया जाता हो तो उक्त स्थिति में वे स्वतः विरमित होकर दिनांक–07.04.2026 को 9:30 बजे पूर्वाह्न में प्राधिकरण में योगदान करेंगे तथा कार्य की समाप्ति के उपरांत अपने विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

06/04/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–17/स्था0–03–19/2024, 6163 / सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/04/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग), बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1095 दिनांक–06.04.2026 के प्रसंग में/संबंधित पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/04/26

सरकार के अपर सचिव।

F:/Anish Document/Aadesh/2026/Office order(BSSC) 17.03.2026